

# महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

(22 अप्रैल, 2013)

गहिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्तीर्ण से संरक्षण और  
 लैंगिक उत्तीर्ण के परिवादों के निवारण तथा  
 प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके  
 आनुषंगिक विषयों का उपबंध  
 करने के लिए  
 अधिनियम

लैंगिक उत्तीर्णन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यर्तीत करने के विरोध महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबाह करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्तीर्णन से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है। उल्लंघन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों और लिखितों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जन. 1993 को अनसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उच्च अधिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना सभीचीन है:

अपने गान्धाराज्य के जौसरुवे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अष्टमाय ।

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भहिलाओं का कार्यस्थल पर नैगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम, २०१३ है।

(2) इसका विस्तार संपर्ण भारत पर है।

(3) यदि उस तारीख को प्रवत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

२ परिभ्राप्तां—इम अधिनियम में, जब तक वि. संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “व्यथित महिला” से निम्नलिखित अभिप्रैत हैं—

(i) किसी वार्षिक स्थल के संबंध में, किसी भी आयु वर्गी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्तीर्णन के विस्तीर्ण करने का अभिकर्तन करती है;

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है;

(ब) “अमाचित सरकार” से निम्नलिखित अभियोग हैं—

(i) गोसे कायीम्बल के संबंध में, जो—

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यसंघ भासासन द्वाग म्यापित, उभके म्यामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है केन्द्रीय सरकार:

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पृष्ठतः या भागतः वित्तपोषित है, राज्य भरकार;

(ii) उपचंड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यशेष के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के मंत्रधर्म में, राज्य सरकार;

(ग) "अध्यक्ष" में धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिश्चिह्न स्थानीय परिवाद गमिति का अध्यक्ष अभियेत है;

(घ) "जिला अधिकारी" में धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभियेत है;

(ङ) "घरेलू कर्मकार" ये ऐसी कोई महिला अभियेत है जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए गृहस्थी का कार्य पूर्यकातिक आधार पर नियोजित है जिसे इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई गदम्य नहीं है;

(च) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभियेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो गीथे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नवकार या वस्तुरूप में, या तो गीथे या किसी अधिकरण के गाड़ीयम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्यकातिक आधार पर नियोजित है जिसे इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई गदम्य नहीं है;

(छ) "नियोजक" ने निम्ननिश्चित अभियेत है,—

(i) नमुनित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के बिना विभाग, गंगठन, उपकरण, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के प्रधान या उनमें से अधीन अधिकारी जो, यथास्थिति, नमुनित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस नियमित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपचंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के मंत्रधर्म में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

**स्पष्टीकरण—**इस उपचंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रवंश" के अंतर्गत ऐसे गंगठन के लिए नीतियों की विनिर्दिष्ट और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या गमिति भी है;

(iii) उपचंड (i) और उपचंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के मंत्रधर्म में, अपने कर्तव्याधियों के मंत्रधर्म में संविदात्मक वाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संवंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए बिना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;

(ज) "आंतरिक समिति" में धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभियेत है;

(झ) "स्थानीय गमिति" में धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद गमिति अभियेत है;

(अ) "सदस्य" में, यथास्थिति, आंतरिक गमिति या स्थानीय गमिति का कोई सदस्य अभियेत है;

(ट) "विहित" में इस अधिनियम के अधीन वनाएँ या नियमों द्वारा विहित अभियेत है;

(ठ) "पीढ़ामीन अधिकारी" में धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिश्चिह्न किया गया आंतरिक परिवाद गमिति का पीढ़ामीन अधिकारी अभियेत है;

(ड) "प्रत्यर्थी" में ऐसा व्यक्ति अभियेत है जिसके विरुद्ध व्यक्ति गहिना ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद नियमा है;

(ढ) "नैंगिक उत्तीर्ण" के अन्तर्गत निम्ननिश्चिह्न कोई पक्का या अधिक अवांश्चित्रीय चार्य या अवहार नाहे प्रत्यक्ष रूप या विवक्षित रूप गे हैं, अर्थात्—

(i) शारीरिक गंपक और अग्रगमन; या

(ii) तैरिक अनुकूलता की गांग या अनुरोध करना; या

(iii) तैरिक अत्युत्तम टिप्पणियां करना; या

(iv) अश्वील गाहित्य दिखाना; या

(v) तैरिक प्रकृति का कोई अन्य अवांश्चित्रीय शारीरिक, गौविक या अमौखिक शाचरण दरना;

(ण) "कार्यस्थल" के अंतर्गत निम्ननिश्चित भी हैं—

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपकरण, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो गमुचित सरकार या स्थानीय प्रशासकरण या विस्तीर्ण सरकारी कार्यालयों का नियम या राहकारी गोमाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या पूर्णतः या सारतः, उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निश्चिये द्वारा वित्तपोषित की जाती है;

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या विस्तीर्ण प्राइवेट उद्यम, उपकरण, उद्यम, संस्था, स्थापन, गोमाइटी, स्थायी, वैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिजिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, और्तोगिक, स्वास्थ्य सेवाएँ या विस्तीर्ण क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है;

(iii) अप्रत्यक्ष या परिचर्चा गृह;

(iv) प्रशिक्षण, खेलकूद या उसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या फ्रीड्यू का स्थान, जाह्न आवासीय है या नहीं;

(v) नियोजन से उत्पृष्ठ या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परियाहन भी है;

(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

(vii) विस्तीर्ण कार्यस्थल के संबंध में, वसंताहित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और विस्तीर्ण सरकार के गाल के उत्पादन या विद्युत अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और वहाँ उद्यम, कर्मकारों को नियोजित करता है, वहाँ ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से अन्यून है।

3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण—(1) विस्तीर्ण कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियाँ, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या अचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उससे संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न को कोटि में आ सकेंगी :—

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवरण या सुरपष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवरण या सुरपष्ट धमकी देना; या

(iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रस्तुति के बारे में विवरण या सुरपष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अधिनियाम या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

## अध्याय 2

### आंतरिक परिवाद समिति का गठन

4. आंतरिक परिवाद समिति का गठन—(1) विस्तीर्ण कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, “आंतरिक परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा :

परंतु जहाँ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें, शिल्प-शिल्प स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहाँ आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित विए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्योष्ट स्तर पर नियोजित महिला होगी :

परंतु किसी ज्योष्ट स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा :

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्योष्ट स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के विस्तीर्ण कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) कर्मचारियों में से दो में अन्यून ऐसे विद्यमान, जो महिलाओं की मामस्याओं के प्रति अधिमानी रूप में प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास मामाजिक कार्य में अनुभव है या विशिक्षक ज्ञान है;

(१) गैर-ग्रकारी गंगलगों या गंगगों में गे पेसा एक गदम्य जो गहिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिवर्द्ध है या पेसा कोई लानित, जो लैंगिक उत्पीड़न गे गंबंधित मुद्दों गे सुपरिचित है;

परंतु इग प्रकार नामनिर्देशित तुल गदम्यों में गे कग से कग आधे गदम्य गहिलाएं होंगी।

(२) (३) आंतरिक मणिति का पीठारीन अधिकारी और प्रत्येक गदम्य अपने नामनिर्देशन की बारीख गे तीन वर्ष गे अनश्विक की ऐसी अवधि के लिए पद भारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनियोजित की जाए।

(४) गैर-ग्रकारी गंगलगों या गंगगों में गे नियुक्त लिए गए गदम्य को आंतरिक मणिति की कार्यवाहियां करने के लिए नियोजक द्वारा पेसी फीरों गा भरे, जो विहित किए जाएं, सर्वत विए जाएंगे।

(५) जहां आंतरिक मणिति का पीठारीन अधिकारी गा कोई सदम्य,—

(क) धारा १६ के उपबंधों का उत्तंधन करना है; या

(ख) निजी अपराध के लिए सिद्धदोष लहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्सम्य प्रवृत्त किमी विधि के अधीन निमी अपराध की कोई जांच नंचित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी गाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही नंचित है; या

(घ) अपनी हैगियन का इग प्रकार दुरुपयोग करता है, जिसमे उसका पद पर वने रहना लोक हित पर प्रतिवृत्त प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे पीठारीन अधिकारी गा सदम्य को मणिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

### अध्याय ३

#### स्थानीय परिवाद समिति का गठन

५. जिता अधिकारी की अधिसूचना—सामुचित सरकार, डग अधिनियम वे: अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किमी जिला मजिस्ट्रेट गा अपन जिला गजिस्ट्रेट या कलवटर या उप कलवटर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

६. स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता—(१) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, पेसे स्थापनों से जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित गंही की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए “स्थानीय परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा।

(२) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जगजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुक और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद मणिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(३) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।

७. स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य नियंत्रण तथा शर्तें—(१) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले नियमनियित गदम्यों में चिनकार लगेगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रक्षयात और गहिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिवर्द्ध पेसे नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ख) पद गदम्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुक या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यवत गहिलाओं में गे नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदम्य, जिले में कग से कग एक गहिला होगी, जो गहिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिवर्द्ध पेसे गैर-ग्रकारी गंगलगों या गंगगों में गे या पेसा व्यवित, जो लैंगिक उत्पीड़न से गंबंधित पेसे मुद्दों गे मुपरिचित हो जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परंतु कग से कग एक नामनिर्देशिती के पाग, अधिकारी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए;

परंतु यह और कि कग से कग एक नामनिर्देशिती, अनुमूलित जातियों या अनुसूचित जगजातियों या अन्य पिछले वर्गों या केंद्रीय गवर्नर द्वारा गमय-गमय पर अधिसूचित अन्यगंबंधयक समुदाय की गहिला होगी;

(घ) जिले में सामाजिक वल्याण या गहिला और वाल विनांग में गंबंधित संतद्व अधिकारी, गदम्य पदेग होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्यक्ष सदस्य, वापनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के सिए पद धारणा करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विनियोगित की जाए।

(3) जहां स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, ---

(क) धारा 16 के उपबंधों पर उल्लंघन करता है, या

(ख) किसी अपराध के लिए दोषित घोषया गया है या उसके विरुद्ध तत्त्वग्रन्थ किसी विधि के अधीन किसी अपराध का कोई जाच लंबित है, या

(ग) किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोपी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, या

(म) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वालों ही माया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की समिति से हटा किया जाएगा और इस प्रकार सूचित रिक्त या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिदेशन से भरा जाएगा।

(३) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (१) के लंड (ख) और लंड (ध) के अधीन नामनियोगित सदस्यों से भिन्न सदस्य स्थानीय समिति की कार्यवाहियों करने के लिए ऐसी पीड़ितों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाएं हैं, हवादार होंगे।

४. अनुदान और संपरीक्षा—(१) केंद्रीय सरकार, संगद द्वारा इस नियमित विधि द्वारा किए गए साम्यक विनियोग के पश्चात् राज्य सरकार को धारा ७ की उपधारा (५) में निर्दिष्ट पीड़ितों या भत्तों के मंदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, अनुदान दे सकेगी।

(२) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (१) के अधीन किए गए अनुदान अंतरित कर सकेगी।

(३) अभिकरण, जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का, जो धारा ७ की उपधारा (५) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के मंदाय के लिए अपेक्षित हों, संदर्भ करेगा।

(४) उपधारा (२) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिकरण में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के माध्य प्रस्तुत करेगा।

#### अध्याय ४

#### परिवाद

९. लैंगिक उत्तीर्ण का परिवाद—(१) कोई व्यक्ति माहिना, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्तीर्ण का परिवाद, धटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और शूखलावद्ध धटनाओं की दशा में अंतिम धटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित, नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी :

परंतु जहां ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीछाभीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखवद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अनधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह मामाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिसने महिला को उस अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था।

(२) जहां व्यक्ति महिला, अपनी शारीरिक या गानसिक अरागर्थता या गृह्य के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहां उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के बीचने परिवाद कर सकेगा।

१०. सुलह—(१) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा १ के अधीन जांच आंग भ करने से पूर्व और व्यक्ति महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके आर प्रत्यक्षी के बीच मायले को निपटाने के उपाय कर सकेगी :

परंतु कोई धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई, जो सिफारिश में विनियोगित की जाए, करने के लिए भेजेगी।

११. उपधारा (१) के अधीन अभिनिवित किए गए समझौते की प्रतियां अधीन अभिनिवित को उपधारा (१) के अधीन कोई समाप्त हो जाता है, वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और योक्ता नहीं की जाएगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई समाप्त हो जाता है, वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और योक्ता नहीं की जाएगी।

११. परिवाद की जांच—(१) धारा १० के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहाँ राष्ट्रीय कोई कर्त्तव्यार्थी है, वहाँ प्रत्यर्थी जो नागू रेता नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहाँ ऐसे कोई नियम विचारण नहीं हैं, वहाँ ऐसी रीति वे, जो विहित की जाए, परिवाद की जांच करने की कार्यताही करेगी या किसी घेरेलू कार्यकार की दशा में, स्थानीय समिति, यदि राष्ट्रमदास्या मामला विचारण है, तो भारतीय दंड गंहिता (१८६० का ४५) की धारा ५०९ और जहाँ नागू हो, वहाँ उक्त गंहिता के किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए गात दिन की अवधि ने भीतर पुनिर्ग को परिवाद भेजेगी।

परंतु जहाँ व्यधित महिता, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा १० की उपधारा (२) के अधीन जिए गए समझौते ने नियम विचारण या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहाँ आंतरिक समिति, यथास्थिति, परिवाद की जांच करने के लिए कार्यताही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी।

परंतु यह और कि जहाँ दोनों पक्षकार कर्त्तव्यार्थी हैं, वहाँ पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, युनवाई का अवगत दिया उपलब्ध कराई जाएगी।

(२) भारतीय दंड गंहिता (१८६० का ४५) की धारा ५०९ में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का जाएगा और नियर्कर्ता की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के गमका नियर्कर्ता के विश्व अध्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए,

(३) उपधारा (१) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी, जो नियन्त्रित गमकों के मंवंध में नियमी बाद का विचारण करने समय सिविल प्रक्रिया गंहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्—

(क) नियमी व्यवित की समग्र करना और उसको हाजिर करना तथा उगकी शाश्वत पर परीक्षा करना;

(ख) नियमी दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) ऐसा कोई अन्य विप्रय, जो विहित किया जाए।

(४) उपधारा (१) के अधीन जांच, नव्वे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

#### अध्याय ५

#### परिवाद की जांच

१२. जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाई—(१) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यवित महिता द्वारा जिए गए नियन्त्रित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को नियन्त्रित गिराविश कर देना,—

(क) व्यवित महिता या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या

(ख) व्यवित महिता को तीन गार तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या

(ग) व्यवित महिता को ऐसी अन्य गहरत, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(२) इस धारा के अधीन व्यवित महिता को अनुदान छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (१) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वयन करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को अपने नियर्कर्ता की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के अन्तर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट गंवंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(२) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस नियर्कर्ता पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विश्व अभिकरण मावित नहीं किया गया है वहाँ, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह गिराविश करेगी कि मामले में किसी कार्यवाई का निया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस नियम पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अधिकार साक्षित हो गया है, वहां, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित में लिए गिफारिश करेगी,—

(i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां, ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लैगिक उत्तीड़न के लिए कार्रवाई करने;

(ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यक्ति महिला को या उसके विधिक वारिसों को संदर्भ की जाने वाली ऐसी राशि की जो वह मानुचित समझे, कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे :

परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहते या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन में ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह प्रत्यर्थी को, व्यक्ति महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यह और कि यदि प्रत्यर्थी, छंड (ii) में निर्दिष्ट राशि या संदाय करने में वासफल रहता है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, संबंधित जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूती के लिए आदेश अपेक्षित कर सकेगी।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा गिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।

14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए छंड—(1) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अधिकार स्वेषपूर्ण है या व्यक्ति महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यक्ति महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की गिफारिश कर सकेगी :

परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में वेवन असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई आकर्षित नहीं करेगी :

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया वे अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिवादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज दिया है, वहां वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी ।

15. प्रतिकर का अवधारण—धारा 13 की उपधारा (3) के छंड (ii) के अधीन व्यक्ति महिला को संदर्भ की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—

(क) व्यक्ति महिला को कारित हुए गानसिक आधात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;

(ख) लैगिक उत्तीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवभर की हानि;

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(घ) प्रत्यर्थी की आय और विनीय हैमियत;

(ङ) एकमुश्त या विस्तो में ऐसे सदाय वी साध्यता ।

16. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्रवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिवेद—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन विनागण परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यक्ति महिला, स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेस और पीड़ितों को रामबनियन या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा :

परंतु इस अधिनियम के अधीन लैगिक उत्तीड़न की विसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यक्ति महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान भें प्रकाशित करने वाली विनीय अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए विना, प्रसार किया जा सकेगा ।

17. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्रवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शक्ति—जहां कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जांच या इन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या

इस पर क्रमशः वाही करते जा कर्तव्य औपनिषद है, आगे 16 वें उपबंधों का अस्तित्व करेगा, वहाँ वह उक्त व्यक्ति को नाम देवा नियमों के उपलक्ष्यों के अनुसार या वहाँ पैदे देवा विश्वासात नहीं है, वहाँ, ऐसी भौति ही, जो विद्वित की जाए, शास्त्र के लिए दारी होगा।

18. अधीत—(1) धारा 13 की कानूनीता (2) के अधीन ग्रा. धारा 13 की उपलब्धि (3) के बंड (i) या बंड (ii) या धारा 14 की उपलब्धि (1) का उपलब्धि (2) या धारा 17 के अधीत की गई विफारिती या दिली विफारिती को कार्यक्षमता न किए जाने से अधित कोई अद्वितीय अवधि या धारा देना विभाग के उपर्युक्त के ग्रन्तियां आयातग या अधिकारण को अधीत कर देकेगा या जहाँ प्रेसे में विभाग विवरण नहीं है, तहाँ तत्त्वापन प्रवृत्त विभाग अलग विभाग के उपर्युक्त पर परिकृत प्रभाव द्वारा विभाग, अधित अविन ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अधीत कर देकेगा।

(2) उपचारा (1) के सभीत अधीन, भिन्नति वा के एकै दिन की अवधि के चरित्र की आवाही

三一八四四六

ନିର୍ମାଣକାରୀ ପାତାଳା

19. नियोजक भै कर्तव्य — प्रत्येक नियोजक

(क) कार्यस्थल पर मुर्गशेत कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तिगों से सुरक्षा भी है;

(ए) नैगिक उत्तीर्णन के शास्त्रिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में विभी गहजदृश्य स्थान पर प्रवर्षित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपांकों में कार्यालयों को गुप्ताही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएँ और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के गद्दों के लिए अधिनियम कार्यक्रम, ऐसी रीति गे, जो विहित की जाए आयोजित करेगा;

(घ) ग्रामीणता, आंगनिक समिति या ग्रामीण समिति को परिवार पर कार्यवाही करने और जांच का मंत्रालय करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायाएँ।

(ड) यथास्थिति, आंतरिक समिति या राजानीय समिति वे; गगड़ा प्रत्यार्थी और साधियों की हाजिरी यजिलिचन करते में सहायता करेगा;

(च) यथास्थिति, अंतर्भुक् यगिति या स्थानीय यगिति को पेंडी जानकारी उपलब्ध कराया, जो धारा 9 की उपधारा (1) ने अधीन विए गए परिवार को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित है;

(छ) पहिला को, गदि वह भारतीय दंड मंहिता (1860 का 45) या नत्यमण प्रवृत्ति निर्मी अन्य विधि के अधीन अपाराध के संवेद्ध में कोई परिवाद फाइल करना, चयन करती है, "हायता प्रदान करेगा;

(ज) पैसे कार्यस्थल में, जिसमें नैतिक उत्तीर्ण की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यक्तित्व महिना प्रेरी वांछा करती है, जहाँ अपराधकर्ता कोई कर्मनारी नहीं है, गारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रबन्ध किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आंग करवाएगा;

(इ) नैगिक उत्तीर्ण को गेवा नियमों के वाधीन रखा जाएगा - २

(ए) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानितर करेगा।

अध्याय ७

जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां

20. जिना अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ जिनमें से कौन सा विकल्प सही है ?

(३) द्वारीय समिति—जला अधिकारी—

(क) शान्तिगंगा की द्वारा दी गई उपरोक्त को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिया जाए।

(४) ऐसे उपाय करेगा, जो वैशिक उच्चीड़न और महिनाओं के अधिकारों के मन्त्रधर्म में जानकारी सजित करने के लिए गगरकारी गंगरानों को तयार के लिए आवश्यक हों।

અણગાળ ૪

ପ୍ରକାଶିତ

**प्रकीर्ण**  
21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति ग्रामानीय मणिति, प्रत्येक कल्याण वर्ष में, ऐसे प्ररूप में शीर प्रेम यमय पर, जो विहिन बिना जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक वया जितना अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(2) जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक गिरोहीं पर एक मंथित रिपोर्ट गत्य सरकार को भेजेगा।

22. नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना—नियोजक, अपनी गिरोहीं में फाइल किए गए मामलों, यदि कोई हो, और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके निपटारी की संख्या को सम्मिलित करेगा।

23. समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मानिटरी और आंकड़े रखा जाना—समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मानिटरी करेगी और कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीड़न के फाइल किए गए और निपटाए गए मध्य मामलों की संख्या में संबंधित आंकड़े रखेगी।

24. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना—समुचित सरकार, विनीय और अन्य मंत्रालयों की उपनिवेशों के अधीन रहते हुए:—

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैगिक उत्पीड़न में मंत्रभण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत मूल्यना, शिक्षा, मूल्यना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित कर मकेनी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर मकेनी;

(ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर मकेनी।

25. सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, यह ममाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित मूल्यना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को लैगिक उत्पीड़न के मंबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर मकेनी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समझ, उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी मूल्यनाओं, अभिलेखों और अन्य दम्ता वेजों को प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विपय-वस्तु से मंबंधित हैं।

26. अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति—(1) जहाँ कोई नियोजक,—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा;

(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा; और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन वंगाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा।

वहाँ वह, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक वह हो मकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,—

(i) उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकारी दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिरोपित दंड से दुगुने दंड का दायी होगा:

पंरतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय दंड देने समय उसका सम्यक् संज्ञान लेगा;

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारवार या क्रियाकलाप वो चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी अनुनति के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्द करण के लिए दायी होगा।

27. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, अभियोजन की आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के मिवाय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अंगूजेय होगा।

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पिकारण में न होना—इस अधिनियम के उपर्युक्त, तत्त्वमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपर्युक्त होने, न कि उनके अल्पिकारण में।

29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शर्ति—(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपर्युक्त को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिगृहचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वागामी शर्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाने विना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विधियों के संबंध में उपर्युक्त कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन गदस्यों को गदत की जाने वाली रीतें या भर्ते;

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन गदस्यों का नामनिवेशन;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और गदस्यों को गदत की जाने वाली रीतें या भर्ते;

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जांच करने की शर्तियाँ;

(ज) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत;

(झ) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(ञ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति;

(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शपील की रीति;

(ठ) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएँ, जानकारी कार्यक्रम और अंतरिक समिति के मदस्यों के लिए अधिविच्छास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और

(ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन अंतरिक गमिति और शान्तिय गमिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रूफ और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, मंसद के प्रत्येक मदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक मत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के मत्र के अवसान के पूर्व दोनों मदन सम्प्रत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों मदन सम्प्रत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी वात की विधिगान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-गंडल के दो मदन हैं, वहां प्रत्येक मदन के साथ या जहां ऐसे विधान-गंडल का एक मदन है, वहां उस मदन के समक्ष रखा जाएगा।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शर्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपर्युक्त कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपर्युक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपर्युक्त से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ ये दो वर्ता की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया रखा जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश लिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, मंसद के प्रत्येक मदन के समक्ष